

16/11/24 प्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित।
विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रावली वाले विपक्षीगण
के जवाब हेतु अंतिम भस्म दिया जाकर प्रावली
भाईन्दा दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

✶

26/11/24 प्रावली पेश हुई। पार्थी वकील उपस्थित। प्रावली
वाले विपक्षीगण को जवाब पेश करने का सर्वथा
अंतिम भस्म दिया जाकर प्रावली भाईन्दा दिनांक
01/01/2025 को पेश हो।

✶

01/01/25 प्रावली पेश हुई। पार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण
के समस्त पुत्र में Rev. जे. ए. ए. प्राप्त होने के बावजूद
भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाई आमतौर में नहीं जाती है। वकील
पार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील
पार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मतलब किया
गया। प्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन,
अवलोकन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि
पार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 129
आर. एल. आर. एक्ट को न्यायद्वारा स्वीकार
किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल प्रावली किया गया। प्रावली
कैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। संख्या
से एक कम हो।

✶

